चिरंजी लाल मीना बनाम् श्री राजीव महर्षि वगैरा।
(एकलपीठ अवमानना याचिका संख्या- 36/2006)
अन्तर्गत
(एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या-4262/2003)

19.12.2006

माननीय न्यायाधिपति श्री शिव कुमार शर्मा

श्री बी.बी.एल. शर्मा, अधिवक्ता वास्ते प्रार्थी।
श्री जगमीत सिंह, अधिवक्ता वास्ते प्रतिपक्षी/कन्टेमनरस्

प्रतिपक्षी/ कन्टेमनरस् की ओर से श्री जगमीत सिंह अधिवक्ता ने कथन किया है कि इस न्यायालय की खण्डपीठ ने आक्षेपित आदेश के विरूद्व प्रस्तुत अपील में आक्षेपित आदेश को स्थगित कर दिया है। विद्वान अधिवक्ता प्रतिपक्षीगण श्री जगमीत सिंह के उक्त कथन को दृष्टिगत रखते हुए इस अवमानना याचिका को जारी रखने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता।

परिणामत: यह अवमानना याचिका निरस्त की जाती है। प्रतिपक्षी/ कन्टेमनरस् को जारी अवमानना के नोटिस उन्मोचित किए जात हैं।

(न्या. शिव कुमार शर्मा)